



## उपायुक्त का न्यायालय, गोड्डा।

आर0एम0ए0 नं0-43/2018-19

पवन तँतवा

बनाम्

अंचल अधिकारी, पथरगामा

—: आदेश :-

दिनांक 02/04/21

वर्तमान अपील वाद की प्रक्रिया अपीलकर्ता पवन तँतवा, पे0-स्व0 सुरेश तँतवा, सा0-कमलडीहा, थाना-पथरगामा, जिला-गोड्डा के अपील आवेदन पर प्रारम्भ किया गया है। अपीलकर्ता ने अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के आर0ई0आर0 केश नं0-74/01-02 आदेश दिनांक-27.08.18 के द्वारा मौजा-कमलडीहा जमाबंदी सं0-19 दाग नं0-09 रकवा 00-01-00 धुर जमीन से अपीलकर्ता को उच्छेद किया है।

सुनवाई की निर्धारित तिथि को बार-बार पुकार करने पर अपीलकर्ता अनुपस्थित रहे। इससे स्पष्ट होता है कि अपीलकर्ता को कुछ नहीं कहना है। निम्न न्यायालय के अभिलेख से स्पष्ट होता है कि मौजा-कमलडीहा जमाबंदी सं0-19 दाग नं0-09 दासो मरण्डी के नाम से दर्ज है। निम्न न्यायालय के अभिलेख से यह भी स्पष्ट होता है कि अवैध हस्तान्तरण का मामला होने के कारण निम्न न्यायालय के द्वारा अपीलकर्ता को अपील वादगत जमीन से उच्छेद किया गया है। ऐसी स्थिति में निम्न न्यायालय का पारित आदेश नियमानुकूल प्रतीत होता है।

अतः अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के आर0ई0आर0 केश नं0-74/01-02 में दिनांक-27.08.2018 के पारित आदेश को बरकरार रखते हुए अपीलकर्ता के अपील आवेदन खारिज किया जाता है।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

  
02/04/21  
उपायुक्त,  
गोड्डा।

  
02/04/21  
उपायुक्त,  
गोड्डा।

श्री.वी.ए. 108  
05/04/21

  
3/4/2021